मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 17, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II वर्ष 2015-2016 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, जनसम्पर्क मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार म.प्र.राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 पटल पर रखेंगी.

(4) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का ग्यारहवॉं वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की 16 वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज नवीन तहसील कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा-खाचरौद क्षेत्र के अनेक ग्रामों में केमिकल युक्त पेयजल का प्रदाय होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के सहरिया आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री अनिल फिरोजिया, सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्य, प्रदेश में डीबीटी योजना से कृषकों को लाभ न मिलने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ दो वां से एक सौ बाईस वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री अंचल सोनकर, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां तथा अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुँवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम कोड़ियाखेड़ी के शासकीय मा.वि. का शासकीय हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में कांजी हाऊस भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बोरवनी में पुलिया व स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(4) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार महिदपुर रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले की नगरपालिका के नलकूप से पंचमुखी हनुमान जी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के सूबेदार वार्ड स्थित शीतला माता मंदिर के पास वाली सड़क पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(7) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बरेला से महगवां-बारहा मार्ग तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम बजवाड़ा से मण्डलेश्वर बागदी में नदी के संगम तक सड़क बनाये जाने,

(9) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, भोपाल के वार्ड क्र. 81 की कान्हा कुंज कालोनी फेस-1 की सड़क, पीने के पानी सीवेज लाईन दुरूस्त कराये जाने,

(10) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के बघाना के बीच स्थित रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,

(11) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत रूलकी से सामगी बोर्डी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(12) श्री घनश्याम पिरौनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सालोन बी एवं उनाव में डिग्री कालेज खोले जाने,

(13) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम नयागांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने,

(14) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम भण्डारिया मार्ग निर्माण कराये जाने,

- 2 –

(15) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खरगापुर की पलेरा तहसील में एस.डी.एम. (राजस्व) कार्यालय खोले जाने,
(16) कु. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम लखरावन में श्रीराम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,
(17) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कटंगी मौदा के बीच नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(18) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम रामपुरिया से गोरधनपुरा मार्ग की नेवज नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(19) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र पोखर एवं आंगनवाड़ी केन्द्र रूमसिंग में नवीन भवन निर्माण कराये जाने,
(20) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज एवं हनुमना में रैनबसेरा का निर्माण कराये जाने,
(21) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम कर्रापुर से खिरिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
(22) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम कोठार के गोलीढाना में पुलिया निर्माण करने,
(23) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बैरसिया के शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(24) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम महुँआ के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(25) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम बैहलोट की गली में नाली सह-सड़क का निर्माण कराये जाने,
(26) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर में महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय हेतु नया भवन बनाये जाने,
(27) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पटियाटोला को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करने,
(28) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, शहडोल जिले के जयसिंह नगर से देवरा पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण करने,
(29) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम गोदलमऊ की कृषि भूमि डूब क्षेत्र का उचित मुआवजा प्रदान करने,
(30) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले की भटमतरा से पांडीवारा तक रोड निर्माण कराये जाने,
(31) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम गांधी गंज में संचालित शासकीय मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(32) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 06 में नाला निर्माण कराने,
(33) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम नाँदीखेड़ा से लालावाड़ी तक डामरीकृत मार्ग का निर्माण किये जाने,
(34) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम खयड़ी से भराड़ा तक रोड निर्माण कराये जाने,
(35) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गुबर के हनुमान मंदिर में सार्वजनिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(36) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के सिन्थेटिक प्रा.लि. फैक्ट्री के कर्मचारियों की पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि का भुगतान कराये जाने,
(37) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम खुरसीपार से ग्राम सुपारी तक सड़क बनाये जाने,
(38) श्री कालू सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के शासकीय हाई स्कूल कुसुमला का उन्नयन उच्चतर मा. वि. में किये जाने,
(39) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भगुवारामपुरा में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(40) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम अकौरिया की प्राथमिक पाठशाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
(41) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम सेमली ईस्तमुरार में हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन निर्माण कराये जाने,
(42) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम ढुटेरा केवलारी में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन बनाये जाने,
(43) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के पानसेमल में वन अधिकार पत्रों के निराकरण करने,
(44) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम रेही बगदरा में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(45) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मण्डला जिले की तहसील निवास को अविलंब जिला बनाये जाने,
(46) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के देवरी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना करने,
(47) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के महुली में पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(48) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पपौध एवं अन्य ग्रामों में सिंचाई की सुविधा बाणसागर बांध से उपलब्ध कराये जाने,
(49) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत कोडार में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(50) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम पंचायत नयापुरा में बड़े पुल के नीचे स्टापडेम का पुल निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2016-2017 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

2 घन्टे

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 64, 65, 70, 72, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़, छियालीस लाख, अड़तीस हजार सतासी रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 दिसम्बर, 2016